राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. 7(7)डीओपी/ए-II/2023 जयपुर, दिनांक: 6.2.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इसके साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (प्रथम. संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.- इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ सं.2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ सं.3 में यथोल्लिखित विद्यमान नियम के पश्चात् स्तंभ सं.4 में यथोल्लिखित निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"ऐसे अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग (कोविड-19) के कारण अनाथ हो गये.- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है, अनुकम्पात्मक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा,-

(i) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए; और

Gwrl

(ii) अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो।

(2) चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसमें विफल होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, अभ्यर्थी से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा या तो अंग्रेजी या हिन्दी में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(3) ऐसे अनाथ को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि उसके माता-पिता की मृत्यु के समय या ऐसे अनाथ की नियुक्ति के समय उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त हो।

(4) यदि अनाथ उसके अवयस्कता के कारण तुरन्त नियोजन लेने की स्थिति में नहीं हो तो पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सकेगा।

(5) ऐसा अनाथ नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए अनाथ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, अपने जैविक या दत्तक माता-पिता (दोनों) जिनकी मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और दूसरे की मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी

है, अठारह वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है और जो अपने माता-पिता मृत्यु के समय उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था।"

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक	नये नियम का संख्यांक
1	2	3	4
1.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	6ख	6ग
2.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	6ख	6ग
3.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	6ख	6ग
4.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	6ख	6ग
5.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6ख	6ग
6.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6ख	6ग
7.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	6ख	6ग
8.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	6ख	6ग
9.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	7क	7ख
10	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	7क	7ख
11.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	7क	7ख

Gmg

12.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	7क	7ख
13.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015	7क	7ख
14.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2017	7क	7ख
15.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	7क	7ख
16.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	7क	7ख
17.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	7क	7ख
18.	राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	7क	7ख
19.	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	7क	7ख
20.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (प्रथम श्रेणी) नियम, 1955	7घ	7ङ
21.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1955	7छ	7ज
22.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	7ग	7घ
23.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	6घ	6ङ
24.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	6घ	6ङ
25.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	6ग	6घ
26.	राजस्थान उद्यान-कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	6ख	6ग
27.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	6घ	6ङ
28.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	6ग	6घ
29.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	6घ	6ङ
30.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	6ङ	6च

6ml

31.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	6ङ	6च
32.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	6ख	6ग
33.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	6ङ	6च
34.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6ख	6ग
35.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6ग	6घ
36.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	6ग	6घ
37.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6(ग)	6घ
38.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	6ख	6ग
39.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	6ख	6ग
40.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	6ख	6ग
41.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6ख	6ग
42.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	6ख	6ग
43.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6ग	6घ
44.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6ख	6ग
45.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	6ख	6ग
46.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	6ख	6ग
47.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	6ख	6ग
48.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	6ख	6ग
49.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	6ख	6ग
50.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	6ख	6ग
51.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	6ख	6ग

52.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	6ख	6ग
53.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	6ख	6ग
54.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6ख	6ग
55.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	7ख	7ग
56.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	7क	7ख
57.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	7क	7ख
58.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	7क	7ख
59.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020	7क	7ख
60.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	7क	7ख
61.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	5ख	5ग
62.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	6ख	6ग
63.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	6ख	6ग

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव।

3/2024